चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सामान्य/10423
दिनांक :– 22.2.2021

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निर्देशक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध बी0एड0 महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय/महोदय,

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध ऐसे सभी महाविद्यालय/संस्थान जिनमे संचालित बी0एड0 पाठयक्रम की सम्बद्धता दिनांक 30.06.2021 को समाप्त हो रही है तथा संस्थान दिनांक 01.07.2021 से सम्बद्धता का विस्तारण कराना चाहते हैं, को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–276/2012 दिनांक 13.12.2012 के अनुपालन में शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक वर्ष की 10 मार्च तक प्रत्येक दशा में निरीक्षण मण्डल की आख्या विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बी0एड0 पाठयक्रम में दिनांक 01.07.2021 से सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल के गठन हेतु अनुरोध पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति भी विश्वविद्यालय को तत्काल दो कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

01. महाविद्यालय को संचालित करने वाली पैतृक संस्था (ट्रस्ट/सोसाइटी) के पंजीकरण एवं वैधता की तिथि, पदाधिकारियों के नाम, तथा उसका प्रमाण पत्र, पंजीकरण करने वाली संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
02. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित खतौनी।
03. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र।
04. महाविद्यालय नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत में अवस्थित होने का प्रमाण पत्र।
05. मानकानुसार सोसाइटी तथा महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि।
06. मानकानुसार प्राभूत धनराशि जमा होने का प्रमाण पत्र।
07. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यु0जी0सी0 की धारा–2 (एफ0) का प्रमाण पत्र।
08. महाविद्यालय में मानकानुसार प्रति पाठयक्रम कक्षों की संख्या तथा महाविद्यालय का नक्शा।
09. संस्थान/ महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन का प्रमाण पत्र।
10. संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य एवं मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन प्रमाण पत्र।
11. बैंक से टीचर्स के भुगतान का प्रमाण पत्र।
12. संस्थान/महाविद्यालय के अग्निशमन का अद्यतन प्रमाण पत्र।
13. संस्थान/महाविद्यालय का एन0बी0सी0 का प्रमाण पत्र (अधिशासी अभियंता द्वारा निर्गत)
14. एन0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र।
15. नैक मूल्यांकन एवं ए0आर0एस0एच0ई0 का प्रमाण पत्र।

बी0एड0 पाठयक्रम में दिनांक 01.07.2021 से सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल की आख्या प्रत्येक दशा में सदस्य सचिव के माध्यम से दिनांक 10 मार्च, 2021 तक विश्वविद्यालय में जमा करायी जानी है। अतः उपरोक्त अभिलेखों विश्वविद्यालय को

तत्काल दो कार्यदिवसों में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जाते है एवं विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण मण्डल का गठन नहीं किया जाता है अथवा निरीक्षण आख्या निर्धारित तिथि पर विश्वविद्यालय में जमा नहीं करायी जाती है, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।

भवदीय,

22/02/24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव